



“चुनावी सुधार एवं लोकतांत्रिक सुदृढीकरण : मध्यप्रदेश में युवा राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन”

मुकेश कुमार मिश्रा¹ डॉ. एस.पी. शुक्ला²

¹शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

²प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारतीय लोकतंत्र की सुदृढता का मूल आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सहभागितापूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में निहित है। समय के साथ भारतीय लोकतंत्र ने अनेक संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्वयं को मजबूत किया है, जिनमें चुनावी सुधारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान समय में युवा वर्ग, जो देश की जनसंख्या का सर्वाधिक सक्रिय एवं ऊर्जावान घटक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य, जहाँ जनसांख्यिकीय संरचना में युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, यहाँ युवा राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन विशेष प्रासंगिकता रखता है। यह शोध पत्र मध्यप्रदेश के संदर्भ में चुनावी सुधारों एवं लोकतांत्रिक सुदृढीकरण के परिप्रेक्ष्य में युवा राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार निर्वाचन सुधारों— मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ईवीएम एवं वीवीपैट प्रणाली, डिजिटल मतदाता सेवाएँ तथा पारदर्शिता बढ़ाने वाले उपाय ने युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया है कि राजनीतिक उदासीनता, अविश्वास एवं सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ युवा सहभागिता के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं।



मुख्य शब्द— चुनावी सुधार, लोकतांत्रिक सुदृढीकरण, युवा सहभागिता, मध्यप्रदेश, निर्वाचन प्रक्रिया।

प्रस्तावना –

लोकतंत्र को जन-सहभागिता की शासन प्रणाली माना जाता है, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भूमिका शासन की वैधता एवं प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। भारत में निर्वाचन प्रणाली का विकास निरंतर सुधारों के दौर से गुजरता रहा है, ताकि लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, समावेशी एवं उत्तरदायी बनाया जा सके।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को संस्थागत रूप प्रदान किया है। समय के साथ-साथ चुनावी भ्रष्टाचार, धनबल-बाहुबल का प्रभाव, मतदाता उदासीनता

तथा संस्थागत चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं, जिनके समाधान हेतु चुनावी सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का शुद्धिकरण, आदर्श आचार संहिता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), वीवीपैट तथा मतदाता जागरूकता अभियान जैसे सुधारों को लागू किया गया है।

इक्कीसवीं सदी में युवा वर्ग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा है। भारत में 18-35 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। राज्य में जहाँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं की संख्या उल्लेखनीय है, वहाँ युवा राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन लोकतांत्रिक सुदृढीकरण की दृष्टि से अनिवार्य हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि युवा वर्ग केवल मतदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक अभियानों, डिजिटल प्लेटफार्मों एवं नीति-विमर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद चुनावी राजनीति के प्रति अविश्वास, बेरोजगारी, शिक्षा की असमानता तथा राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचनाओं में युवाओं के लिए सीमित अवसर, सहभागिता को सीमित करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह शोध पत्र मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि चुनावी सुधार किस प्रकार युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं तथा लोकतंत्र को सुदृढ बनाते हैं। यह अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से युवा सहभागिता के संरचनात्मक एवं व्यवहारिक पहलुओं को उजागर करता है।

शोध उद्देश्य –

युवा वर्ग लोकतंत्र की निरंतरता एवं नवाचार का आधार है। यदि युवाओं की राजनीतिक सहभागिता सशक्त होती है, तो लोकतंत्र अधिक जीवंत एवं उत्तरदायी बनता है। चुनावी सुधारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं, को निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास के साथ जोड़ना है। इसी संदर्भ में यह शोध युवा सहभागिता एवं चुनावी सुधारों के अंतर्संबंध का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र चुनावी सुधार एवं लोकतांत्रिक सुदृढीकरण : मध्यप्रदेश में युवा राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करने से संबंधित निम्न उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर शोध पत्र के कार्य को पूर्ण किया गया है, जो इस प्रकार है—

- (1) मध्यप्रदेश में चुनावी सुधारों की प्रकृति एवं प्रभाव का विश्लेषण करना।
- (2) युवा वर्ग की राजनीतिक सहभागिता के स्तर एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
- (3) लोकतांत्रिक सुदृढीकरण में युवा सहभागिता की भूमिका का मूल्यांकन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। शोध कार्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्टें, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रकाशन, जनगणना आँकड़े, सरकारी दस्तावेज, शोध पत्रिकाएँ, पुस्तकें एवं विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से चुनावी सुधारों, युवा मतदाता प्रवृत्तियों एवं लोकतांत्रिक सहभागिता के सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन को अधिक यथार्थपरक बनाने हेतु सीमित प्राथमिक सर्वेक्षण भी किया गया है, अध्ययन क्षेत्र से चयनित कुल 300 युवा उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। शोध विधि वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिससे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निष्कर्षों की व्याख्या किया जाना संभव हो सका है।

विश्लेषण –

मध्यप्रदेश में चुनावी सुधारों ने युवाओं की राजनीतिक सहभागिता को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों ने युवाओं को मतदान के अधिकार एवं उसके महत्त्व के प्रति सचेत किया है।

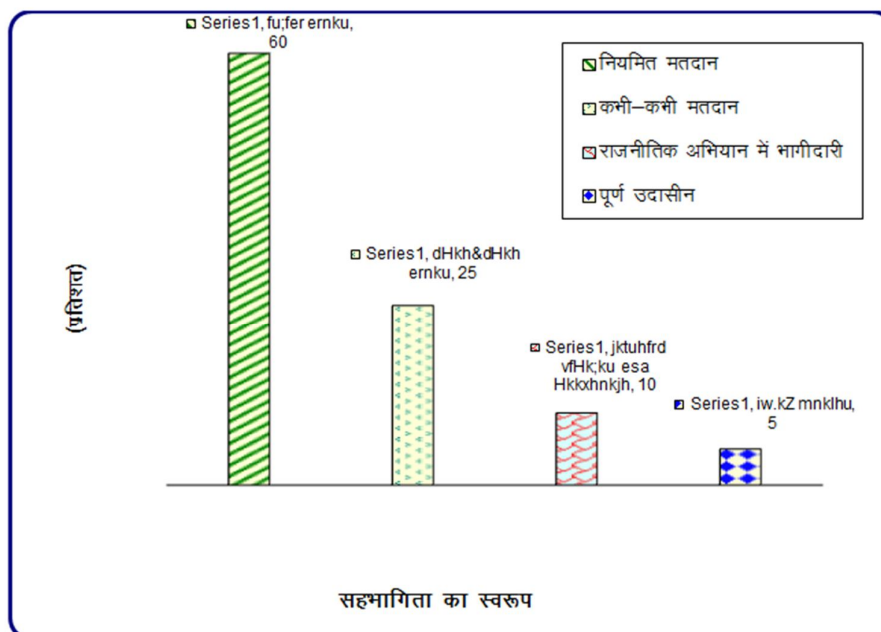
ईवीएम एवं वीवीपैट प्रणाली ने मतदान प्रक्रिया को सरल एवं विश्वसनीय बनाया, जिससे युवाओं का विश्वास निर्वाचन प्रणाली में बढ़ा है। डिजिटल पहल जैसे— ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, मोबाइल एप्स एवं सोशल मीडिया अभियानों ने शहरी एवं शिक्षित युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इससे युवा वर्ग राजनीतिक विमर्श का सक्रिय हिस्सा बन रहा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी, रोजगार असुरक्षा एवं राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को सीमित प्रतिनिधित्व दिया जाना सहभागिता को बाधित करता है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि चुनावी सुधारों ने युवाओं को निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय सहभागी की ओर अग्रसर किया है, जो लोकतांत्रिक सुदृढीकरण के लिए सकारात्मक संकेत है। इस प्रकार युवा उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता के विवरण को तालिका क्रमांक-01 में विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार है—

तालिका क्रमांक-01

राज्य में युवा उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता संबंधी विवरण

क्रमांक	सहभागिता का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	नियमित मतदान	180	60%
2.	कभी-कभी मतदान	75	25%
3.	राजनीतिक अभियान में भागीदारी	30	10%
4.	पूर्ण उदासीन	15	5%
योग		300	100%

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण, 2025



आरेख क्रमांक-01 : राज्य में युवा उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता संबंधी विवरण।

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि राज्य में युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा (60%) नियमित रूप से मतदान में भाग लेते हैं, जो लोकतांत्रिक चेतना का सकारात्मक संकेत है। इसी प्रकार 25% युवा कभी-कभी मतदान करते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें राजनीतिक रुचि तो है, परंतु निरंतरता का अभाव है। 10% युवा सक्रिय राजनीतिक अभियानों में भाग लेते हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व के अवसर अभी भी सीमित हैं एवं 5% युवाओं की पूर्ण उदासीनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। अतः यह आवश्यक है कि चुनावी सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक शिक्षा एवं अवसरों का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुनावी सुधार लोकतांत्रिक सुदृढीकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं। मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किए गए सुधारों ने युवा वर्ग के विश्वास एवं सहभागिता को बढ़ाया है। मतदाता जागरूकता, तकनीकी नवाचार एवं पारदर्शिता ने युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि यह भी सत्य है कि केवल संस्थागत सुधार पर्याप्त नहीं हैं। युवाओं को राजनीतिक निर्णय-निर्माण में वास्तविक भागीदारी देने हेतु राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचनाओं में सुधार आवश्यक है। शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक समानता जैसे मुद्दों का समाधान युवा सहभागिता को और अधिक सशक्त बना सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि चुनावी सुधार एवं युवा राजनीतिक सहभागिता परस्पर पूरक हैं। यदि इन दोनों को समन्वित रूप से सुदृढ़ किया जाए, तो मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय लोकतंत्र अधिक सहभागी, उत्तरदायी एवं सशक्त बन सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ –

1. ऑस्टिन, ग्रैनविल, भारतीय संविधान : एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड, 1999।
2. भारत निर्वाचन आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 2022
3. कुमार, एस., भारत में चुनावी सुधार, नई दिल्ली, 2018
4. पलशिकर, एस., भारत में चुनावों की राजनीति, दिल्ली, 2019
5. वर्मा, आर., भारतीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन राजनीति, जयपुर, 2017
6. यादव, योगेन्द्र, लोकतंत्र और चुनावी सुधार, नई दिल्ली, 2016
7. मध्यप्रदेश शासन, सांख्यिकीय पुस्तिका, भोपाल, 2021
8. भारत की जनगणना, प्राथमिक जनगणना सार, नई दिल्ली, 2011